UPJB120054552016

न्यायालय सिविल जज (जू०डि०)/जे०एम०, हसनपुर, अमरोहा।

पीठासीन अधिकारी - रश्मि सिंह-II - उ०प्र० न्यायिक सेवा

मुकदमा संख्या– 128/2006
मुकदमा अपराध संख्या– 1470/2005
सरकार बनाम वीरपाल
धारा – 25 आयुध अधिनियम

<u>दिनांक– 21.05.2026</u>

पुकार कराई गई। पत्रावली पेश हुई। पुकार पर कोई उपस्थित नहीं आया। पत्रावली में अभियुक्त वीरपाल के विरूद्ध वारण्ट की कार्यवाही जारी है।

पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि उपरोक्त मामला धारा 25 आयुध अधिनियम से सम्बन्धित है। अभियुक्त वीरपाल के विरूद्ध वारण्ट जारी किया गया। पुलिस आख्या द्वारा वारण्ट की तामील में यह कथन किया गया है कि परिजनों द्वारा अभियुक्त वीरपाल का मृत्यु प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया गया। मृत्यु प्रमाण पत्र पत्रावली पर संलग्न है। अब चूंकि पुलिस आख्या एवं मृत्यु प्रमाण पत्र द्वारा लिखित आख्या से अभियुक्त वीरपाल की मृत्यु होना पुष्ट हो रहा है। इसलिए अभियुक्त वीरपाल के संबंध में उपरोक्त वाद की कार्यवाही को आगे चलाये जाने का कोई औचित्य नहीं है।

<u>आदेश</u>

उपरोक्त मुकदमा संख्या– 128/2006, मुकदमा अपराध संख्या– 1470/2005, अंतर्गत धारा 25 आयुध अधिनियम में अभियुक्त वीरपाल की मृत्यु हो जाने के कारण उक्त वाद की कार्यवाही इसी स्तर पर समाप्त की जाती है। तदनुसार उपरोक्त वाद की पत्रावली आवश्यक कार्यवाही पश्चात दाखिल दफ्तर की जाये।

(रश्मि सिंह–II)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, हसनपुर,
अमरोहा।
जे.ओ. कोड- यू.पी. 4602